

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

खाता 6.10 में उपरोक्त का प्रमुख एवं शिवनाथ दर्ज रिकार्ड है। उसकी जांच के  
के द्वारा प्रमुख एवं शिवनाथ के नाम पर जांच का नाम प्रमुख एवं  
शिवनाथ के नाम पर जांच के नाम प्रमुख एवं

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक  
को नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की प्रविष्टि की जाती है/नहीं  
की जाती है।

उरुस्त ~~आना जाता~~ ~~अव्यक्त~~  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला दृष्टुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 15/12/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0)  
उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0), उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व  
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	काठमापरा	2075-78	10	प्रमुख 50 शिवनाथ	प्रमुख 50 शिवनाथ

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
15/12/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2368  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 15/12/21

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया प्रमुख 50 शिवनाथ ठिकानापरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
15/12/21